रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33001/95

REGISTERED NO. DL-33001/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 30, 1995/ आश्विन 8, 1917

No. 39] NEW DELHI SATURDAY SEPTEMBER 30, 1995/ASVINA 8, 1917

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गये साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1995

सा. का. नि. 432—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग), समूह "ग" पद भर्ती नियम, 1988 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग), समूह "ग" पद भर्ती (संशोधन) नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) समूह "ग" पद भर्ती नियम, 1988 की अनुसूची में, प्रलेखन सहायक के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

क्र. सं. पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1. प्रलेखीकरण सहायक	1* (1988) *कार्यभार के आधार पर	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित)	(पुनरीक्षित) 1400-40-1800 द. रो.-50-	लागू नहीं होता	नहीं	लागू नहीं होता

12	13	14
(period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years).	'Note' : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Commission for approval. If, howerver, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.	

[No. 1(8) 90-G. (iii)]

V.K. VELUKUTTY, Dy. Manager (C&C)

उद्योग मंत्रालय

लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग

(के.वी.आई-1 अनुभाग)

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1995

सा.का.नि. 436.—खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव तथा इस मंत्रालय के समेकित वित्त स्कंध के उपसचिव एवं उप-वित्तीय सलाहकार को खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की बैठकों में सम्मिलित होने और आयोग की परिचर्चाओं में भाग लेने के लिये तैनात करती है और इन अधिकारियों को मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

[मिसिल सं. 9(3)/95-के.वी.आई-1]

ब्रह्म दत्त, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Small Scale Industries and Agro & Rural Industries)

(KVI-I Section)

New Delhi, the 18th September, 1995

G.S.R. 436.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956), the Central Government hereby deputes Joint Secrttary, Department of Small Scale Industries and Agro and Rural Industries and Deputy Secretary and Deputy Financial Adviser of the Integrated Finance Wing of Ministry of Industry to attend any meetings of the Khadi and Village Industries Commission and take part in the discussions of the Commission, but these Officers shall not have the right to vote.

[F. No. 9(3)|95-KVI-I]

BRAHM DUTT, Jt. Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1995

सा.का.नि. 437 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1987 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची में, कनिष्ठ स्वागत अधिकारी के पद से संबंधित क्रम सं. 2 के सामने, स्तंभ 12 के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर उच्च श्रेणी लिपिक या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं या ऐसे अधिकारी जो निम्न श्रेणी लिपिक या समतुल्य पद नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 8 वर्ष से अन्यून समय से धारण किए हुए हैं।

टिप्पण :—(1) प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

[सं० ए.-12018/1/94-एस बी]

विजय शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 5th September, 1995

G.S.R. 437.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the president hereby makes the following rules to amend the All IIndia Radio (Group-C posts) Recruitment Rules, 1987 namely :

(1) These rules may be called the All India Radio (Group-C Posts) Recruitment Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the All India Radio (Group-C posts) Recruitment Rules 1987, against Sl. No. 2 relating to the post of Junior Reception Officer, Under Column 12, for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted namely :

"Officers of Central Government holding the post of Upper Division Clerk or equivalent on a regular basis or holding the post of Lower Division Clerk or equivalent for not less than 8 years after being appointed thereto on a regular basis.

Note :

(i) The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years.

(ii) The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall not be exceeding 56 years."

[No. A-12018/1/94-SVI

VIJAY SHARMA, Under Secy.

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय

(बंजरभूमि विकास विभाग)

नई दिल्ली, 1 मई, 1995

सा. का. नि. 438—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्‌द्वारा ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के अन्तर्गत बंजरभूमि विकास विभाग में "डिस्पेच राइडर" सफाई कर्मचारी, केयरटेकर, गेस्टेटनर आपरेटर (कनिष्ठ) दफ्तरी डाटा एन्ट्री आपरेटर (ग्रेड "क"), जमादार, चपरासी, फराश और स्टाफ कार ड्राइवर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बंजरभूमि विकास विभाग, ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय "डिस्पेच राइडर" नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

(4) निरर्हता : वह व्यक्ति :—(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित हो, या

(ख) जिसने पति या पत्नी के जीवित होते हुए भी विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह संबंधित व्यक्तियों और दूसरे वैवाहिक पक्ष पर लागू होने वाले स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य कारण मौजूद हैं तो वह ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने की शक्ति :— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।